स्टेशनरी सामग्री हेतु निविदा हेतु शर्ते

- निविदाकार द्वारा निविदा की घरोहर राशि रु. 60000/- रुपये साठ हजार केवल संवालक मध्र जल एवं भूमि प्रवंध संस्थान, भोपाल को नाम से देव डिमाण्ड ड्राफ्ट/सावधि जमा के रूप में जमा करनी धेगी।
- 2 निविदा केवल कार्यालय द्वारा जारी निविदा प्रपत्र में ही स्वीकार की जायेगी। अमान्य की गयी निविदा की धरोहर राशि निविदा खोले जाने के पश्चात वापस की जायेगी।
- उ. स्टेशनरी सामग्री की दरे फर्म अथवा उनके प्रतिनिधियों के समझ निविदा खोली जावेगी । अतिम तिथि एवं निर्धारित समय के प्रश्वात प्राप्त निविदाय स्वीकार नहीं की जायेगी और न ही खोली जायेगी। दरें खोले जाते समय यदि कोई फर्म अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित नहीं रहता है, तब भी दरें खोले जाने की आवश्यक कार्यवाही बिना किसी प्रतीक्षा के सम्पन्न की जावेगी तथा इस संदर्भ में कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी ।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के निविदकर्ता सील बंद निविदा के उपर एवं निविदा प्रपत्र के उपर स्पष्ट रुप से वर्ग अंकित करें एवं अपने विशेष पंजीयन की प्रतिलिपि अवश्य लगाएं।
- 5 निविदा स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार संचालक वाल्मी के पास सुरक्षित रहेगा। इसके लिये निविदाकार द्वारा कोई दावा अथवा पत्राचार नहीं कर सकता और न ही उसका दावा स्वीकार्य होगा।
- ह निविदा खुलने की तिथि को अवकाश घोषित हो जाता है तो तिथि आगामी कार्य दिवस हेतु स्वतः बढ़ जायेगी-जिसकी सूचना-निविदाकार को पृथक से नहीं दी-जायेगी और निविदा खोलने की कार्यवाही कार्यालय द्वारा पूर्ण की जायेगी।
- जिन सामग्री में Expiry Date में होती है ऐसी सामग्री नवीनतम निर्मित होना चाहिए एवं सामग्री के उपयोग हेतु न्यूनतम 6 माह का समय डिलेवरी तिथि पर होना चाहिए।
- 8. म.प्र. शासन के भण्डार कय नियमों के संशोधन अनुसार 30 प्रतिशत सामग्री अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग से कय की जावेगी इसका प्रमाण संबंधित फर्म को देना होगा। अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के निविदाकार निविदा प्रस्तुत कर सकते है।
- निविदाकार की दरे कम से कम 25 सामग्रियों में न्यूनतम होने पर ही निविदा स्वीाकार होगी।
- 10. केंबल वे ही निर्माता, कम्पनी/अधिकृत विकेता/व्यापारी अपनी निविदायें प्रस्तुत करें जिनके पास संबंधित सामग्री हेतु स्वयं के व्यावसायिक प्रतिष्ठान हों तथा वांछित सामग्री प्रदाय करने का साधन हों। निविदाकार अपने दुकान की स्थापना, फर्म का पंजीयन कमांक, दिनांक, जीएसटी नम्बर, पेन कार्ड उपलब्ध हों। उपरोक्त समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि निविदा के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- 11. बिना कोई कारण बतायें किसी भी फर्म की दरों को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार संचालक म.प्र. जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान, भोपाल का होगा व संचालक द्वारा लिया गया निर्णय विधिमान्य होगा। संचालक वाल्मी को बिना कोई कारण बताये संपूर्ण निविदा प्रक्रिया निरस्त करने का अधिकार होगा।
- 12. कार्य सम्पादन में किसी भी प्रकार की शिथिलता, उदासीनता अथवा विलंब के कारण संस्थान को हुई क्षिति का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निविदाकार का होगा तथा हानि के मूल्यांकन अनुसार उसकी प्रतिपूर्ति का दायित्व भी निविदाकार का होगा ।
- चयनित फर्म को सामग्री का प्रदाय संस्थान कार्यालय में करना होगा इस बावत पृथक से कोई भुगतान नहीं किया जावेगा।
- 14. फर्म द्वारा समस्त कर एवं अन्य व्यय सहित दरें प्रस्तावित की जायेंगी।
- 15. वयन समिति द्वारा चयनित फर्म को कार्य आदेश में दर्शाई गई तिथि तक सामग्री प्रदाय सुनिश्चित करना आवश्यक होगा।

- 'ात. अनुबंध की अवधि अनुबंध विनाक से एक वर्ष तक वैद्य होगी जिसे परस्पर सहमति से बढावा जा सकेगा।
- 17. अनुबंध के संबंध में चयनित फर्म एवं संस्थान के मध्य किसी भी विवाद पर नांस्थान के नांबालक का निर्णय अतिम होगा। निर्णय अस्वीकार होने की दशा में विवाद का न्यायिक क्षेत्र भोपाल ही होगा।
- 18. फर्न द्वारा प्रथम के प्रत्येक पृथ्व पर निविद्याकार द्वारा हस्साक्षर किया जाना आवश्यक है।
- न्यूनतम निविद्याकार द्वारा संस्थान के साथ रु. 1000/- नान जुडिशियन स्टाम्प पर अनुबंध निष्पादन की कार्यवाही पूर्ण करनी होगी। किसी भी विवाद की स्थिति में संवालक वाल्मी का निर्णय अविम एवं सर्वमान्य होगा। निविदाकार द्वारा इस पर कोई दावा नहीं कर संकेगा।
- 20. निविदाकार के फर्म का विगत तीन वर्ष (2014-15, 2015-16, 2016-17) का वार्षिक चलित दर्न ओवर रु. 60.00 लाख (प्रतिवर्ष) से कम होने पर किसी भी परिस्थिति में निविदा स्वीकार्य नहीं होगी और रयतः निरस्त समझी जावेगी।

 अनुबंध अविध में समय—समय पर किये जाने वाले भुगतानों से नियमानुसार देय करों की कटौती की जायेगी।

22. निविदा के साथ आयकर जमा संबंधी प्रमाण-पत्र अनिवार्यतः संलग्न करें। इसके अभाव में निविदा विचारयोग्य नहीं होगी।

23. रथानीय सामग्री प्रदायकर्ता को प्राथमिकता दी जायेगी।

उपरोक्त सभी शतें व्यानपूर्वक पढ ली है जो मुझे पूर्णतः स्वीकार है।

निविदाकार के हस्ताक्षर मुद्रा सहित

संचालक वाल्मी, भोपाल

प्रशासकीय अधिकारी प्रशासकीय अधिकारी प्रशासकीय अधिकारी प्रशासकीय अधिकारी प्रशासकीय अधिकारी प्रशासकीय अधिकारी